दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथिः 1 फरवरी, 2023

रि.या.(सि) 14403/2022 और सि वि. आ. 43979/2022

पी .... याचिकाकर्ता

द्वारा : सुश्री डॉ. स्वाति जिंदल गर्ग, सुश्री आरुषि कुलश्रेष्ठ, श्री सौम्य चाइना व श्री अर्जुन, अधिवक्तागण (मो : 9911232024)

बनाम

भारत संघ व अन्य ... प्रत्यर्थीगण

द्वारा : सुश्री प्रतिमा एन. लाकड़ा, कें.स.स्था.अधि., श्री अपूर्व शर्मा व श्री चंदन प्रजापति, अधिवक्तागण एवं सुश्री ऐश्वर्या डोभाल, भारत संघ के लिए सरकारी अधिवक्ता (मो : 9968324260)

श्री अमीश टंडन, प्र-2 के लिए अधिवक्ता

श्री अंकुर छिब्बर व श्री निकुंज अरोड़ा, प्र-4 के लिए अधिवक्तागण (मो : 9810082847)

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री प्रतिभा एम. सिंह

<u>न्या., प्रतिभा एम. सिंह</u> (मौखिक)

1. यह सुनवाई हाइब्रिड मोड द्वारा की गई है।

2. याचिकाकर्ता ने दिनांक 5 जुलाई, 2019 को एचआर - आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड के प्रमुख को आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (*इसके बाद 'आईएफएल'*) के एक वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद, शिकायत प्रबंध निदेशक -आईएफएल के समक्ष रखी गई, जिन्होंने अपनी टिप्पणी के साथ इस शिकायत को आईएफसीआई - एचआर तथा सीवीओ, आईएफसीआई समूह को अपनी आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) में मामले को उठाने के लिए भेज दिया क्योंकि आरोपी कर्मचारी आईएफसीआई का कर्मचारी था। हालांकि, 10 जुलाई, 2019 को आईएफसीआई लिमिटेड के महाप्रबंधक ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ आईएफएल को शिकायत वापस भेज दीः

> *"शिकायत आईएफसी / फैक्टर्स लिमिटेड (/एफएल) से है तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि आईएफएल को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रतितोष हेतु निर्देशित किया जा सकता है"*

3. आईएफएल की आईसीसी का गठन 30 जुलाई, 2019 को किया गया था एवं प्रत्यर्थी सं. 4 के खिलाफ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (*इसके बाद 'पौष अधिनियम'*) के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। आईएफएल के आईसीसी का पुनर्गठन 19 अगस्त 2019 को किया

गया था और फिर 23 अगस्त, 2019 और 24 फरवरी, 2020 को फिर से इसका पुनर्गठन किया गया था।

4. उक्त आईसीसी ने 11 मार्च, 2020 को प्रत्यर्थी सं. 4 को लिखित माफी देने का निर्देश देते हुए एक आख्या प्रस्तुत की। उक्त आख्या की अनुशंसा इस प्रकार हैं:

> *"आईसीसी, आईएफएल ने सर्वसम्मति से अनुशंसा की है कि-*
>
> *प्रत्यर्थी को तथ्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाया जाता है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, इसलिए :*
>
> *प्रत्यर्थी द्वारा **<u>शिकायतकर्ता के नाम पर आईसीसी, आईएफएल के नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित माफी दी जानी चाहिए</u>** और <u>शिकायतकर्ता की गरिमा को पुनःस्थापित करने के लिए, शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच कोई निकटता नहीं होनी चाहिए,</u> ताकि ऐसी किसी भी स्थिति से बचा जा सके जिससे दोनों पक्षकारगण के बीच शत्रुतापूर्ण वातावरण या टकराव पैदा हो क्योंकि वे एक ही टावर में काम करते हैं।*
>
> *यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिकायतकर्ता को दंडित करने के लिए ऐसी कोई भी कार्रवाई प्रकट नहीं होनी चाहिए।*
>
> *सेवा नियमों एवं नीतियों के अनुसार प्रबंधन उपरोक्त अनुशंसा के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय करने के लिए स्वतंत्र है।"*

इस प्रकार, आईसीसी का विचार था कि प्रत्यर्थी सं. 4 के आचरण के कारण शिकायतकर्ता के लिए कुछ क्षतिपूर्ति की आवश्यकता थी।

5. दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 के पत्र के माध्यम से, आईसीसी को आईएफसीआई लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा सूचित किया गया था कि

आईसीसी की अनुशंसा को आईएफसीआई के अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया तथा 12 अक्टूबर, 2020 के पत्र के माध्यम से आवश्यक आदेश भी जारी किए गए। उक्त आदेश इस प्रकार है:

> *"यह महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत प्राप्त शिकायत के संबंध में 11 मार्च, 2020 को शिकायतों की आंतरिक समिति की आख्या के संदर्भ में है। एमडी, आईएफएल द्वारा आईएफसीआई को 12 मार्च, 2020 के पत्र के माध्यम से उक्त आख्या अग्रेषित की गई थी।*
>
> *यह सूचित किया जाता है कि* ***उपरोक्त आख्या में उल्लिखित शिकायतों की आंतरिक समिति की अनुशंसा को आईएफसीआई के अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया है*** *और इस संबंध में आवश्यक आदेशों को 12 अक्टूबर, 2020 के पत्र के माध्यम से आईएफसीआई को प्रेषित किया गया है।*
>
> *यह समिति की जानकारी के लिए है।"*

6. तथापि, प्रत्यर्थी सं. 4 ने, आईएफसीआई लिमिटेड के अपीलीय प्राधिकरण, अर्थात, निदेशक मंडल को अपील दायर की एवं उक्त अपील में, आईएफसीआई के आईसीसी द्वारा पुनः परीक्षा का निर्देश दिया गया। उक्त आदेश दिनांकित 11 जुलाई, 2022 इस प्रकार हैः

> *"उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आईएफएल - एचआर को पत्र सन्दर्भ सं. आईएफसीआई/एचआर/2022-110704 दिनांकित 11 जुलाई, 2022 प्राप्त हुआ, जिसमें यह सूचित किया गया है कि* ***महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध***

और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत दिनांक 05/07/2019 की आपकी शिकायत की आईएफसीआई लिमिटेड के आईसीसी द्वारा फिर से जांच की जानी है।

आपके अवलोकन तथा संदर्भ के लिए पत्र सन्दर्भ सं. आईएफसीआई/एचआर/2022-110704 दिनांकित 11 जुलाई, 2022, संलग्न है।

आपसे अनुरोध है कि संलग्नक के साथ इस पत्र की प्राप्ति को स्वीकार करें।"

7. इस याचिका में इस पत्र को याचिकाकर्ता द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई है कि चूंकि पुनः परीक्षा आईएफसीआई लिमिटेड के आईसीसी द्वारा निर्देशित की गई है, वह अब उक्त जांच में भाग नहीं लेना चाहती क्योंकि शिकायत 2019 की है और उसे आईसीसी के समक्ष कार्यवाही के दूसरे चरण से गुजरने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह बेहद निराशाजनक और यातनापूर्ण है। यह प्रत्यर्थी सं. 4 द्वारा प्रयुक्त भाषा और उसके खिलाफ कार्रवाई के कारण था कि उसने शुरू में एचआर प्रमुख, आईएफएल और उसके बाद आईसीसी के पास शिकायत दर्ज की थी। याचिकाकर्ता स्वयं उपस्थित है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वह जीवन में आगे बढ़ गई है और आईसीसी के समक्ष दूसरे चरण से गुजरना नहीं चाहती है।

8. प्रत्यर्थी सं. 4, दूसरी ओर, प्रतिवाद करता है कि उक्त प्रत्यर्थी को लिखित माफी देने का निर्देश देते हुए, आईसीसी आख्या की अनुशंसा जारी की गई है और

पोश (POSH) की धारा 18 के तहत अपील के उनके वैधानिक उपाय को हटाया नहीं जा सकता है।

9. आईसीएफआई लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आईसीसी के गठन में एक तकनीकी त्रुटि थी जिसके कारण आईएफसीआई ने मामले की फिर से जांच करने का निर्णय लिया है।

10. दिनांक 11 जुलाई, 2022 के पत्र के माध्यम से, आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा आईएफसीआई लिमिटेड के आईसीसी द्वारा शिकायत की पुनः जांच के लिए जारी किए गए निर्देश इस प्रकार हैं:

> *"तदनुसार, आईएफसीआई की आईसीसी द्वारा शिकायत की जांच के लिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया शीघ्र अति शीघ्र निम्नलिखित कार्रवाई करें:*
>
> *i) आईएफएल के आईसीसी को सूचित किया जा सकता है कि उक्त शिकायत की आईएफसीआई के आईसीसी द्वारा फिर से जांच की जाएगी और इस संबंध में इसकी विषयवस्तु प्राप्त की जा सकती है। तदनुसार, मूल रूप में शिकायत दिनांकित 05/07/2019 को आईएफसीआई को उसके आईसीसी द्वारा विचार के लिए प्रस्तुत की जा सकता है।*
>
> *ii) शिकायतकर्ता को आईएफसीआई लिमिटेड के आईसीसी द्वारा शिकायत की फिर से जांच के बारे में भी सूचित किया जा सकता है।"*

11. सुना गया। पौष (POSH) से संबंधित शिकायतों और मामलों में, आईसीसी का गठन अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। संगठनों के प्रबंधन और अधिकारियों को जिम्मेदारी से व्यवहार करना

होगा और केवल इस आधार पर कि गठन त्रुटिपूर्ण था, वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों के अंतर्गत पूरी कार्यवाही की फिर से जांच निर्देशित नहीं की जा सकती है।

12. जैसा कि इस मामले के तथ्यों में देखा जा सकता है, आईएफसीआई के निदेशक मंडल ने केवल आईएफसीआई के आईसीसी द्वारा पुनः परीक्षा का निर्देश दिया है, जब निश्चित रूप से याचिकाकर्ता आईएफएल में कार्यरत था। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी सं. 4, को प्रासंगिक समय पर प्रबंध निदेशक के रूप में आई.एफ.एल. में नियुक्त किया गया था। आईसीसी के गठन को बार-बार किसी न किसी कारण से बदला जा रहा था।

13. काफी समय जो बीत चुका है, शिकायतकर्ता / याचिकाकर्ता के संबंध में और उस व्यक्ति के संबंध में भी जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, व्यर्थ नहीं किया जा सकता। जैसा कि वर्तमान मामले से स्पष्ट है, शिकायत 2019 की है और आईएफसीआई लिमिटेड की हालिया कार्रवाई को देखते हुए मामला पहले की स्थिति में आ गया है। शिकायतकर्ता को परेशान नहीं किया जा सकता है और आईसीसी के समक्ष बार-बार पेश होने की असुविधा नहीं पहुंचाई जा सकती है, यहां तक कि एक संबंधित संगठन के भी और उससे अपने मामले का समर्थन करने के लिए गवाहों को फिर से पेश करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यहां तक कि कथित गवाह भी अब शायद संगठन में उपलब्ध नहीं हो।

14. इसी प्रकार से, यहां तक कि प्रत्यर्थी सं. 4 जिसके विरुद्ध जांच की जानी है, उसे भी दूसरी जांच में भाग लेने के लिए उत्पीड़न और हताशा का सामना करना पड़ेगा। इन परिस्थितियों में, यह निर्देश दिया जाता है कि आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा पुनः जांच के आदेश का पालन नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता अब माफी पर जोर नहीं देता है, और इसलिए, प्रत्यर्थी सं. 4 द्वारा माफी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज न्यायालय में व्यक्त की गई भावना पर विचार करते हुए मामले को बंद किया जाना वांछित है।

15. लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के न्यायनिर्णयन को अत्यधिक सावधानी से निपटाने की आवश्यकता है। जांच एक विधिवत गठित आईसीसी द्वारा की जानी चाहिए और इसे सभी मायनों में पूर्ण करने की आवश्यकता है। संस्थाएं इन संवेदनशील शिकायतों को लटकाए रखने के लिए परिणाम से बच नहीं सकती। इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायधीश ने भी ***यू.एस. वर्मा व अन्य बनाम राष्ट्रीय महिला आयोग व अन्य, (2009) 163 डीएलटी 557*** मामले में संस्था की जिम्मेदारी तय की थी और शिकायतकर्ताओं को जुर्माने के भुगतान का आदेश दिया था। निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

> *"81. इनमें से कुछ रिट याचिकाएं मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थीं; ऐसा प्रतीत होता है कि सोसाइटी ने एक साथ इस न्यायालय से संपर्क किया था और बाद में ये सभी मामले इस न्यायालय द्वारा 2001 में सुनवाई हेतु लिए गए थे। आठ वर्षों का लम्बा समय बीत चुका है; तब से वर्मा सेवानिवृत्त हो चुके हैं। शिकायत करने वाले कुछ शिक्षकों ने वैकल्पिक रोजगार*

चुन लिए हैं। फिर भी इस न्यायालय की राय है कि ऊपर दर्ज निष्कर्षों के साथ, आयोग की आख्या को न्यायनिर्णयन नहीं माना जा सकता है और साथ ही यह मानते हुए कि शारदा नायक समिति का गठन नहीं किया गया था तथा विधि के अनुसार इसकी कार्यवाही नहीं की गई थी; निष्कर्ष केवल शिकायतकर्ताओं को झूठी तसल्ली प्रदान कर सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में, यह निष्कर्ष निकलने पर कि अनुशासनिक या जांच कार्यवाही दूषित की गई थी, न्यायालय नियोक्ता को विधि अनुसार एक और समिति गठित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए मामला प्रेषित करता। तथापि, वह मार्ग भी समय की अधिकता और अब पक्षकारगण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुचित है। इसलिए शिक्षक-शिकायतकर्ताओं की चिंताओं का निवारण नहीं किया जाएगा, उनके आरोपों की सच्चाई या अन्यथा जांच की कोई और गुंजाइश नहीं होगी। डीपीएस सोसाइटी - जो देश में अपने कई विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, दुर्भाग्य से, इस उदाहरण में, यह इस भूमिका के साथ नहीं उभरता है जो एक आदर्श नियोक्ता को प्रदर्शित करनी चाहिए थी, और उससे अपेक्षित थी। विशाखा दिशानिर्देशों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और केवल अनुष्ठानिक प्रकार से पालन नहीं किया जाना चाहिए। यदि यही स्थिति होती, तो शिक्षक शिकायत नहीं कर सकते थे - इस बात की परवाह किए बिना कि उनके आरोप उचित थे या साबित किए गए थे। डी.पी.एस. सोसाइटी की प्रारंभिक अनिच्छा और बाद में दोषपूर्ण अनुपालन कारण है इस खेदजनक स्थिति के, जिसके कारण न्यायालय मामले को पूरी तरह से असंतोषजनक रूप से बंद करने का आदेश देने के लिए विवश है।

82. इस मामले के तथ्यों के समग्र परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय इन परिस्थितियों में यह उचित समझता है कि डीपीएस सोसाइटी को याचीगण में से प्रत्येक अर्थात् सुश्री जयश्री

कन्नन, सुश्री शायिस्ता जबीन रजा और रि.या. (सि) सं. 1731/2001 (उन्हें डीपीएस सोसाइटी द्वारा दायर मामले में प्रत्यर्थीगण के रूप में भी अभियोजित किया गया था) में सुश्री श्रीनी कौल को 2.5 लाख रुपये की राशि का भुगतान करना चाहिए। इसे इसके द्वारा अभियोजित चौथे कर्मचारी / शिक्षक अर्थात सुश्री अंजू गुप्ता को 1 लाख रुपये का भुगतान भी किया जाना चाहिए।"

16. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कथित त्रुटि आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा की गई थी जिसके कारण पुनः परीक्षा का निर्देश दिया गया है, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा जुर्माने के रूप में रु.1,00,000/- का भुगतान किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा चार सप्ताह के भीतर किया जाएगा।

17. इन टिप्पणियों के साथ, वर्तमान याचिका का , सभी लंबित आवेदनों के साथ, निपटान किया जाती है।

न्या., प्रतिभा एम. सिंह
न्यायमूर्ति

1 फरवरी, 2023/डीजे/एएम

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*